राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

E-mail : sjeraj_dev@yahoo.co.in, फोन 0141–2226632

क्रमांक :एफ 11(164)दे.यो./सा.न्या.अ.वि./रा.उ.प्रा.स./14–15/59466-99 जयपुर दिनांक : 18/11/2014

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
..............................(समस्त)

विषय :– राज्य से बाहर अध्ययनरत विशेष पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियो के उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेष पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक के आवेदन पत्र अभी तक भी स्वीकृति हेतु लम्बित चल रहे है। लम्बित आवेदन पत्रों के नियमानुसार निस्तारण हेतु समय समय पर मौखिक एवं लिखित निर्देश भी प्रदान किये जा चुके है। परन्तु अभी तक भी आप द्वारा बकाया आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया है।

दिनांक 06.11.2014 को देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग के उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रमों की मोनिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय मोनिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार **लम्बित छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु राज्य से बाहर अन्य राज्यों में राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियो के सम्बन्ध में संस्थाओं का वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होने के बारे में विचार विमर्श कर वेरिफिकेशन नहीं कराने का निर्णय लिया गया।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विशेष पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लम्बित आवेदन पत्रों का नियमानुसार 15 दिवस की अवधि में निस्तारण करवाकर सूचना मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(सुदर्शन सेठी) 17.11.2014
प्रमुख शासन सचिव